

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 367] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 4, 1980/श्रावण 13, 1902
No. 367] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 4, 1980/SRAVANA 13, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1980

निर्मात व्यापार नियंत्रण

का० प्रा० 608 (अ) सं० ई (सी) ओ० 1977/१० एम० (173) —आयात निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद द्वारा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 में आगे संशोधन करने
के लिए निम्नलिखित प्रावेषण की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस अधिनियम की निर्यात (नियंत्रण) 30 वा संशोधन अधिनियम, 1980 की रक्षा की जाए ।
2. निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1977 में खुले सामान्य लाइसेंस-3 में क्रम सं० 7 के सामने की प्रविष्टि निम्नलिखित अनुसार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी :—

क्रम सं० मद	अनुसूची 1 के भाग पूर्व की जाने वाली शर्तें/प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज “ख” के अनुसार क्रम सं०
-------------	---

2. ताजे कल ख. 15 निर्यात की अनुमति केवल तब दी जाएगी यदि :—
(क) परेषण के 100% जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को शामिल करते हुए विदेशी नेता द्वारा अपरिवर्तनीय साख पत्र खोला गया हो, या (ख) अग्रिम भुगतान इस शर्त के अधीन प्राप्त किया गया हो कि (1) परेषण के 100% जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में अग्रिम भुगतान शामिल है और (2) अग्रिम भुगतान विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्राप्त किया गया है ।

[मिसिल सं० 7/(4)/80-ई-II]

(मणि० सारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात)

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1980

EXPORT TRADE CONTROL

S. O. 608 (E) No. E(C)O, 1977 AM(173) .— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Thirtieth Amendment Order, 1980.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-3, the entry against S.NO. 7 shall be amended to read as follows :—

S. Item No.	S.No. as in Part 'B' of Schedule I	Condition(s) to be fulfilled/documents to be produced
7. Fresh Fruits.	B. 15	Export will be allowed only if: (a) irrevocable letter of credit has been opened by the foreign buyer covering 100% fob value of the consignment or (b) advance payment has been received provided that (i) the advance payment covers 100% fob value of the consignment and (ii) advance payment has been received through an authorised dealer in foreign exchange.

[File No 7/(4)/80-E. II]

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports

